तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्याः 13/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
11.12.2024	पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल चांद मोहम्मद पुत्र जाफर भाई, जाति– मुसलमान, निवासी– छावनी, पुलिस थाना शिवगंज, जिला– सिरोही उपस्थित। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल ने जरिये वकालतनामा उपस्थिति दी। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जुर्म/आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी व गैरसायल के वकील की बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गैरसायल आले दर्जे का बदमाश व जुआरी है। गैरसायल द्वारा इस प्रकार जुआं संबंधी कारोबार करने से आम जन अपनी जमा पुंजी गवा चुके है एवं गवा रहे है तथा गैरसायल द्वारा जुआं खेलने व खिलाने से समाज पर विपरीत असर पड़ रहा है। गैरसायल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के बावजूद भी उक्त अपराध पर रोक नही लग पाई है। गैरसायल के उक्त आपराधिक कृत्य को रोका जाना आवश्यक है। गैरसायल के इस प्रकार के कृत्य से आम जन में भय का वातावरण बना हुआ है। आमजन ऐसे बदमाश व्यक्ति की आपराधिक हरकतों से परेशान है व इसने थाना क्षेत्र में अशान्ति का वातावरण बना दिया है इसके भय के कारण लोग इसके विरुद्ध साक्ष्य देने को तैयार नही है। गैरसायल के विरुद्ध जुआं खेलने व खिलाने संबंधी पकडे जाने पर पुलिस थाना, शिवगंज में कुल 2 प्रकरण राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अधिनियम के तहत दर्ज हुये है। जिनमें गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये एवं संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को उक्त अपराधों में दोष सिद्ध ठहराते हुए जुर्माने/सजा से दण्डित किया है। वर्तमान में भी गैरसायल जुआ संबंधी अपराधों में लिप्त है और जुआं खेलने व खिलाने से बाज नही आ रहा है, इसके कार्यकलापों की वजह से लोक व्यवस्था, समाज पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल गुण्ड़ा प्रवृति का व्यक्ति है। अतः लोकहित में गैरसायल को छः माह की अवधि के लिये सिरोही जिलें से निष्कासित किया जावे। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल ने गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश के तहत दर्ज 02 प्रकरणों में गैरसायल ने ट्रायल से बचने के लिये लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करने के कारण गैरसायल को संबंधित न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया है। गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 18.**4.2024** के बाद कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है। गैरसायल ने कभी शांतिभंग नही की है। गैरसायल गरीब व्यक्ति है जो मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा है। गैरसायल वर्तमान में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नही है। गैरसायल ने कभी भी शांति भंग नही की है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल चांद मोहम्मद पुत्र जाफर भाई, जाति– मुसलमान, निवासी– छावनी, शिवगंज, पुलिस थाना शिवगंज, जिला– सिरोही के विरुद्ध पुलिस थाना, शिवगंज में राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश ......लगातार	

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्याः 13/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म ... शामिलमें ... हुए

की धारा 13 के तहत कुल 02 मुकदमें दर्ज हुये है एवं इन दोनों मुकदमों में बाद अनुसंधान गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये जिनमें गैरसायल को संबंधित न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराते हुए जुर्मानें से दण्डित किया है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज अपराध संख्या 77 दिनांक 24.3.2024 व अपराध संख्या 100 दिनांक 18.4.2024 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां व इन दोनों मुकदमों में गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त अपराध संख्या 77 दिनांक 24.3.2024 व अपराध संख्या 100 दिनांक 18.4.2024 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 18.4.2024 व 10.7.2024 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि कि गैरसायल राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(V) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्ड़ा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल आले दर्जे का जुआरी है। वर्तमान में भी गैरसायल जुआं खेलने में लिप्त है। इसके इन आपराधिक कार्यकलापों की वजह से लोक व्यवस्था एवं समाज पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है।

आदेश

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुऐ गैरसायल चांद मोहम्मद पुत्र जाफर भाई, जाति– मुसलमान, निवासी– छावनी, पुलिस थाना शिवगंज, जिला– सिरोही को राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 11.12.2024 से 10.1.2025 तक 31 दिन की अवधि के लिये पुलिस थाना क्षेत्र, शिवगंज से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के पुलिस थाना क्षेत्र, शिवगंज की सीमा में प्रवेश नही करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नही करेगा। गैरसायल किसी प्रकार के मादक पदार्थ अपने कब्जे में नही रखेगा। गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, मेला, हाट बाजार, सिनेमाघार, सार्वजनिक पार्क आदि के आस–पास अपनी उपस्थित नही देगा। गैरसायल इस निष्कासन अवधि में दिनांक 20.12.2024 तथा 02.01.2025 को पुलिस थाना, कोतवाली सिरोही में अपनी उपस्थिति देगा। थानाधिकारी, पुलिस थाना, कोतवाली को आदेशित किया जाता है कि उक्त दोनों तारीख में गैरसायल की उपस्थिति दर्ज कर इसकी सूचना थानाधिकारी, पुलिस थाना, शिवगंज को प्रेषित करेंगे। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तो का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, शिवगंज/कोतवाली सिरोही को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)